

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक F.15(1)FD(Rules)/2017 जयपुर दिनांक: 30.10.2017 व द्वितीय संशोधन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में इस कार्यालय के अधीन कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को उनके द्वारा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.07.2021 से वार्षिक वेतन वृद्धि उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 7 के अनुसार स्वीकृत की जाकर वेतन आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ माह की प्रथम तिथि से देय होगा तथा माह जुलाई 2021 की प्रथम तिथि को कार्मिक आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पर होने की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कार्मिक के अवकाश पर लौटने की तिथि से देय होगा।

वार्षिक वेतन वृद्धि का इन्द्राज संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में यथा स्थान पर कर दिया गया है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पद	30-6-2021 को प्राप्त कर रहे वेतन		वेतन वृद्धि दिनांक	वेतन वृद्धि बाद वेतन	आगामी वेतन वृद्धि तिथि
			लेवल मैट्रिक्स	वर्तमान वेतन			
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों ने ऐसे किसी अवकाश का उपभोग नहीं किया है जिससे उनकी वेतन वृद्धि प्रभावित होती हो।

आहरण वितरण अधिकारी

.....
.....

क्रमांक :- संस्था/फा-वा0वे0वृ0/2021/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01- संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी

02- लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय

03- संबंधित कार्मिक

04- व्यक्तिगत पत्रावली

05- रक्षित पत्रावली

दिनांक:-

आहरण वितरण अधिकारी

.....
.....